

हाल बिहार सरकार ने आदिवासियों को बर्बाद करने के लिये ठेकेदारों द्वारा बेरहमी से साल के जंगल काट कर वहाँ पर सागवान के पेड़ लगाने की योजना बनाई है जिस का कोई उपयोग आदिवासियों को नहीं है। इतना ही नहीं बरत सी रेयती जमीन में भी वे लोग जबदेस्ती सागवान का घास लगा रहे हैं जिसके चलते खेती बाड़ी बन्द होने की स्थिति म आ गई है। कहना ज्यादा हांगा कि तमाम वन विभाग की नियुक्तियों में आदिवासियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है, न वन विभाग के संचालन में आदिवासियों का कोई हिस्सा है। इस रूप ने छोटा नागपुर में आदिवासियों के लिए एक अशुभनीय परिस्थिति पैदा की हुई है जिसमें आदिवासियों को न नौकरी मिलती है न खेती चला सकते हैं, न साल के जंगल से जो रोटी रोजी चलती थी वह भी साल काट करके सागवान लगाने के नाते बन्द होने पर है। वह इस प्रकार से भी कि तमाम आदिवासियों को छोटा नागपुर से बर्बाद होकर भाग जाना पड़ेगा।

15 hrs.

१० इस परिस्थिति को ले कर दिनांक 7 नवम्बर, 1978 को कुछ आदिवासी लोग स्त्री एवं पुरुष आदि मिल कर अपनी रैयती जमीन पर ग्राम इंचाहापु, थाना गुलकेरा, जिला सिंहभूमि में बैठकर करीब अपराह्न 3 बजे विचारविमर्श कर रहे थे। इसी समय में अक्समात पुलिस पहुंच गई। बिहार, बी० एम० पी० तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ गोयलकरा ब्लाक का बी० डी० आ० वहां पर पहुंचे तथा बगैर कोई सावधानी देखे गोली चलाने का आदेश दे दिया जिसके चलते तुरन्त यहां एक व्यक्ति, श्री महेश्वर जमुदा को तत्काल वहां मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। दूसरी घटना गांव मरेंदा प्रखंड गोलकरा, थाना गोलकरा, जिला सिंहभूमि में दिनांक 25 नवम्बर, 1978 को करीब डेढ़ बजे हाट स्थान पर हुई। हाट में जब स्थानीय एम० पी० श्री वागुन सोमराय जी का प्रचार हो रहा था उसी समय अचानक बी० एम० पी० के साथ मॉकिल आफिसर वहां पर पहुंच गये एवं भ्रंथाधुंध हाटियां में गोली चलवायी। जिस से घटनास्थल में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा करीब 12 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए। इसके बाद भी विभिन्न वाहनों से वहां अत्याचार चल ही रहा है। इस के बाद फिनहाल रांची जिला के खूटी में भी गोली चली। जिस में एक आदिवासी मारा गया। मूल बात जागृति के बाद आदिवासी जब अपना हक मांग रहा है तो चारों तरफ से उस को हतोबल तथा ध्वंस करने का फेर में लगा हुआ है। इस प्रकार आदिवासियों पर अत्याचार बड़े बड़े डैम तथा कारखाना आदि के जरिए भी हो रहा है जैसे कोयलाकारों या स्वर्णरेखा योजना, जहां हजारों एकड़ आदिवासियों की जमीन इबेगी वहां एक भी आदिवासी को नियुक्ति नहीं मिली एवं पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर जब कुछ दिन पहले छोटा नागपुर का आदिवासी तथा मूलवासी लोगों ने झावज उठायी तो उसे भी चाबूतल में सिंहभूमि में गोली चला कर दबाया गया। कल भी अखबार में दुमका जिला में दो आदिवासियों को पुलिस द्वारा गोली मार कर मारने की खबरें आई हैं।

एवं आदिवासियों के दो जाने माने नेता सर्वश्री एन० ई० होरो एवं शिबु सोटन को एक महीने से ज्यादा हो रहा० है जेल में बन्द कर रखा गया है।

इस प्रकार हर क्षेत्र में बिहार सरकार आदिवासियों के साथ एक अलिखित लड़ाई में उतर चुकी है जिसका परिणाम बिहार तथा आदिवासियों के लिये कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार को अविलम्ब इन तमाम चीजों के बारे में हस्तक्षेप करना चाहिये वहां के लोगों की यह मांग है कि तमाम सिलसिलेबाज ढंग से गोलीकांड की संसद् द्वारा जांच हो, दोषी अफसरों को सजा मिले। मृत आदिवासियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाय। सागुवान के स्थान पर साल का, महुआ का वन लगाया जाय। रेयती जमीन की वन विभाग से अलग किया जाय एवं बिहार का वन विभाग तथा सिंचाई विभाग के तमाम कामों में तथा नियुक्तियों में छोटा नागपुर आदिवासियों तथा मूलवासियों को प्राथमिकता दी जाय। सरकार यदि तमाम चीजों पर तुरन्त कार्यवाही न करे तो बहुत बड़े पैमाने पर वहां एक विस्फोट हो सकता है, जिस को जिम्मेदार सरकार होगी।

(iv) AIR FORCE STATION, JAMNAGAR.

श्री भागीरथ शंकर (शाबुआ) : माननीय सभापति जी, मैं आप की अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न का उल्लेख करता हूं।

“समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है कि जामनगर (गुजरात) नगरपालिका ने वायु सेना केन्द्र से लगे क्षेत्र को आवादी में बदले जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करदी है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग सन् 1965 के हिन्दू पाक युद्ध में भी समस्या बन गये थे और इसी कारण वहां बसे लोगों को हटाया गया था। अब पुनः उस क्षेत्र को आवादी में परिवर्तन करने से वायु सेना केन्द्र तथा देश की सीमा की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है। अतः देश तथा जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय की और माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि नगरपालिका, जामनगर तथा गुजरात सरकार को ऐसी कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दें।”

(v) DEMANDS OF RESEARCH SCHOLARS OF ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI.

श्री उपसेन (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं नियम, 377 के अन्तर्गत इस बात की सूचना देता हूं कि भ्राज इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज नई दिल्ली के अधिकारी ने एम० वाई० एस० सोसाइटी